.BFA REPUBLIK ÖSTERREICH
BUNDESAMT FÜR FREMDENWESEN UND ASYL

सूचनापत्रक

आश्रयचाहनेवालोंकेकर्तव्योंवअधिकारोंपर

सामान्यसूचनापहलेपढ़ें!

कृपयानिम्नमहत्वपूर्णबिंदुओंकोनोटकरें:

1.आपकोआश्रयप्रक्रियामेंकौनसीजानकारीदेनीचाहिए!

हमेशासचबताएं!

आपका आवेदन सच्चाईपूर्ण और संपूर्ण रूप से अग्रेषित किया जाए इसके लिए यह आपका दायित्व है और आपके हित में है ।गलत सूचना आपकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकती है!अपने आश्रय प्रक्रिया में क्या जानकारी आपको देना चाहिए के बारे व्यक्ति तस्करों या तस्कर संगठनों को मत सुनीए।यदिआपजोकहरहेहैंवहसत्यनहींहैतबइसप्रकारकिसलाहनुकसानपहुँचासकतीहै।

- बिना अनावश्यक संकोच के अंतरराष्ट्रीय संरक्षण के लिए अपने आवेदन को स्पष्ट करें (बाद में इसे आग्रह आवेदन के रुप में संदर्भित किया गया है)।जबभीपूछाजायतबसमस्तआवश्यकउपयुक्तमुद्देप्रस्तुतकरें!
- जितना जल्दी हो सके आपके पास जितने भी प्रमाण हों उन्हें प्रस्तुत कर दें।
- यदि आप अन्य यूरोपियन देश में पहले से ही रहे हों तो हमें बताइए।

- सत्ताधीशों को गलत जानकारी न दें।नाम,पहलेउपयोगमेंलाएगएनाम, जन्म तिथि,पहलेजिनदेशोंमेंनिवासकियाहो, इसकेपूर्वआश्रयआवेदनों,साथहीपरिवारवसामाजिकरिश्तोंकेबारेमेंसत्यविवरणदें।
- सत्ताधीशों को आप अपनी राष्ट्रीयता या मूल देश या अपने दस्तावेजों (उदाहरणार्थ यात्रा दस्तावेज ट्रेन टिकट्स) के सम्बन्ध में धोखा न दें।आपकेआश्रयआवेदनकेआकलनपरइसकानकारात्मकप्रभावहोसकताहैऔरआपकाआवेदनतुरन्त हीनिरस्तकियाजासकताहैं।
- आप क्यों आश्रय चाहते हैं इसके कारणों के बारे में तथा जिसके लिए सत्ताधीशों द्वारा आपसे स्पष्ट रूपप से पूछा जाता है उन संबंधित घटनाओं के बारें में भी सच्चाईपूर्ण जानकारी दें।
- यदि आप परीक्षा (साक्षात्कार) के लिए सम्मन प्राप्त करते है, तब आप कृपया निर्दिष्ट स्थान पर एवं समय पर अपनी उपस्थिति दें।इसीप्रकारयदिआपकिसीजाँच(उदाहरणार्थकिसीडाक्टरयाविशेषज्ञ) से सम्मन प्राप्त करते है तब भी निर्दिष्ट स्थान पर समय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थि हों और जाँच में सहयोग करें। हमारे साथ कार्य करते हुए इन पूर्व निर्धारित समय पर होने वाली मुलाकातों में हमारी मदद करें!
- यदि आप बीमार है और उस पूर्व निर्धारित समय की मुलाकात पर उपस्थित नहीं हो सकते है तो तुरन्त ही सत्ताधीशों को यह बताएं और अपने डाक्टर से इसकी पुष्टि उपलब्ध कराएं।साथयदिआपअन्यकिसीकारणसेपूर्वनिर्धारितसमयकीमुलाकातकेलिएउपस्थितिनदेसकतेहों तोवैंसासत्ताधीशोंकोबताएं!
- यदि इन पूर्व निर्धारित समय पर मुलाकातों के लिए आपकी अनाधिकृत अनुपस्थिति रहती है तब आश्रय सत्ताधिश यह मान लेंगे कि आप कार्रवाई से हटना चाहते

हैं।तबआपकीआश्रयकार्रवाईरद्दकीजासकतीहैयानकारात्मकनिर्णयपर पहुंचा जासकताहैयागिरफ्तारीकेलिएवारन्टजारीकियाजासकताहै।

- पहचान प्रक्रियाओं में सहयोग करें (उदाहरणार्थ उंगलियों के निशान लेना, पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ्स का प्रावधान)!
- सत्ताधीशों को आपके डाक के पते के प्रत्येक बदलाव के बारे में सूचित करें-वह पता जिस पर हम आपको डाक भेजतें हैं।यहतबभीलागूहोताहैजबआपविदेशमेंहों।यदिआपआस्ट्रियामेंहै, तबइतनापर्याप्तहोगा किआपतीनदिनोंकेअन्दरपंजीकरणसत्ताधिशोंसेसंपर्ककरें।आपहमेंकिसीअधिकृतव्यक्तिकेबारेमेंअधिसूचितकरेंजिसेअधिसूचनाएंसौंपीजासकतीहैं (उदाहरणार्थआस्ट्रियामेंआवासकीपहचान,चेरीतेबलसंस्थानआदि)।
- आपकेलिएबहुतमहत्वपूर्णहैकिसत्ताधिशोंकोमालूमहोंकिआपकापत्रव्यवहारकहाँभेजाजाए।यदिआप पतेमेंपरिवर्तनकेबारेमेंहमेंसूचितनहींकरतेहैंतोइसकाआपपरनकारात्मकपरिणामप्राप्तहोसकताहै:
    - ❖ यदि आपको सम्मन्स नहीं दिए जा सके तब आपकी आश्रय प्रक्रिया रद्द की जा सकती है या किसी अनिच्छुक निर्णय पर पहुँचा जा सकता है।आपनिर्वासनकेसमक्षसंरक्षणकोगंवासकतेहैं!
    - ❖ यदि सत्ताधीश आपको कोई महत्वपूर्ण अधिसूचना नहीं भेज पाते तब आप कानूनी आवेदन प्रस्तुत करने (उदाहरणार्थ अपील) की महत्वपूर्ण सीमा रेखा को चूक सकते हैं।
    - ❖ इसके फ़लस्वरुप न्यायालय का निर्णय कानूनी रुप से वैध बन जाएगा और निर्वासन के समक्ष आपको कोई संरक्षण नहीं होगा।

- यदि आप कहते हैं कि आप अवयस्क हैं और यह संदेहास्पद है तब आपको निर्विवाद प्रमाणपत्रों के साथ अवयस्क होने का सबूत देना चाहिए या अन्य प्रमाण से पुष्टि करनी

चाहिए।

यदिआपऐसाकरनेमेंअसमर्थरहतेहैतबउम्रकेनिदानकेलिएसत्ताधीशचिकित्सकीयजाँचकेआदेशदेस कतेहैं।उम्रकेनिदानकेलिएअधिकजानकारीअलगशीटपरप्राप्तकीजासकतीहैं।

- अगर आप अकेले कम उम्र नाबालिग है, अर्थात, आपकी उम्र 14 वर्ष से कम है, तो अधिकारी आपके परिवार को तलाशना के लिए बाध्य नही हैं। आपके पास परिवार की तलाशी के लिए आवेदन दायर करना का एक अवसर है। अधिकारी आपके परिवार की तलाश में आपकी मदद करेंगे। कम उम्र नाबालिग के परिवार के तलाश जुड़ी अधिक जानकारी एक अलग सूचना पत्रक में मौजूद है।
- अगर आप अकेले पूर्ण आयु वाले नाबालिग हैं, अर्थात, आपकी उम्र 14 वर्ष से अधिक है, तो अधिकारी आपके परिवार को तलाशना के लिए बाध्य हैं। आप परिवार की तलाश में जरूर मदद करें और वे सारे सबूत दें, जो आपके पारिवारिक रिश्ते की पुष्टि करते हैं। इसी तरह, आप संघीय कार्यालय को पहले की जा चुकी परिवार की तलाश के परिणाम से तुरंत अवगत कराने के लिए बाध्य हैं। पूर्ण आयु वाले नाबालिग के परिवार के तलाश से जुड़ी अधिक विस्तृत जानकारी एक अलग सूचना पत्रक में मौजूद है।

- यदि आप संपर्क केन्द्र पर गृहविहिन के रुप में पंजिकृत किए गए हैं तब आप स्वतः ही रिपोर्टिंग के कर्तव्य के लिए बाध्य रहेंगे।उससंपर्ककेन्द्रकेसबसेनजदीककेपुलिसस्टेशनपरआपहर14दिनोंमेंरिपोर्टकरेंगे।गृहविहिनताके पंजीकरणकेबादकेपहलेकार्य-दिवससेरिपोर्टिंगकाकर्तव्यप्रारम्भहोजाताहै।जबतकआपप्रवेशकार्रवाईकेदौरानउसकाभागबनेहुएहैयह प्रावधानलागूनहींहोगा।
- जब आपआश्रय के लिए आवेदन भेज दें तो आपको तब तक **प्रारंभिक स्वागत केंद्र पर स्थायी रूप से उपलब्ध रहने की** आवश्यकता है जब तक कि स्वीकृति प्रक्रिया के शुरू में प्रक्रियात्मक

व जांच संबंधी कार्य पूरे न हो जाएं, अधिकतम 120 घंटों तक। आपको इस अवधि के लिए **लाल प्रक्रिया कार्ड** जारी किया जाएगा।

वैयक्तिक मामलों में, ऑस्ट्रिया के संघीय कार्यालय द्वारा अधिकतम 120 घंटों की इस अवधि में अधिकतम 48 घंटों तक की वृद्धि की जा सकती है। यदि इस प्रकार का विस्तार कार्यान्वित किया जाता है तो आपको लिखित में इसकी सूचना दी जाएगी।

तब आपको प्रमाण के तौर पर उस **अवधि तक** जिसके दौरान आपको प्रारंभिक स्वागत केंद्र पर स्थायी रूप से उपलब्ध रहना है, एक **हरा प्रक्रिया कार्ड** अथवा आवास अनुमति हेतु एक **सफेद पात्रता कार्ड** जारी किया जाएगा।

आश्रय चाहने वाले के रुप में यदि आप सहयोग करने के कर्तव्य की अवहेलना करते है तब आपके आवेदन पर उसके आकलन में विश्वसनीयता के सम्बन्ध में नकारात्मक प्रभाव आ सकता हैं!

कृपया अपने सहयोग और रिपोर्टिंग के कर्तव्य का अनुपालन कीजिए।यदि आप ऐसा नहीं करते/ती हैं, तो अन्य बातों के साथ–साथ आपको संघीय कार्यालय द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है ताकि आवास या निर्वासन खत्म करने के उपाय को जारी करने की प्रक्रिया निश्चित की जा सके।

2.आश्रयकार्रवाईकेबारेमें:

ए) आस्ट्रियामेंआश्रयप्रदानकरनेहेतुजरुरतेः

आपनेआश्रयआवेदनदियाहै।

आपकोआश्रयकार्रवाईमेंप्रवेशकेलिएमंज़ूरीदीगईहै।

आपयहबतानेयोग्यहैंकिआपकेमूलदेशमेंआपकोउत्पीडनकाभयहैऔरइसकेपर्याप्तकारणहैं।औरयहवंश, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनैतिकदृष्टिकोणयाकिसीविशेषराजनैतिकसमूहसेआपकीसदस्यताकेकारणऐसाहै।भयकेकारणआप नहींचाहतेकिआपकोअपनेमूलदेशमेंसंरक्षणकेअन्तर्गतरखा जा सकता है।

बी) साक्षात्कार:

- आपको जैसे ही आश्रय क्रियाविधि के प्रवेश की मंज़ूरी दी गई (जैसा कि सामान्य जानकारी की शीट में पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है) कि संघीय कार्यालय के स्टाफ़ सदस्य द्वारा आपका साक्षात्कार लिया जाएगा।यहस्टाफ़सदस्यआपकेमूलदेशकीपरिस्थितियोंकोजानताहैऔरआवेदनपरवहनिर्णयलेलेगा।
- इस साक्षात्कार में आपको आश्रय आवेदन के बारे में कारण बताना चाहिए।कृपयाउत्पीडनकेभयकेकारणोंकोबताएं।आपअन्यमूद्देवपरिस्थितियोंकाभीवर्णनकरेंजोआप कोअपनेमूलदेशमेंलौटनेसेरोकतीहैं।
- आपनेकैसेऔरक्योंपलायनकियाइसकीसमस्तजानकारीगुप्तरखीजायगीऔरउसेमूलदेशकेसत्ताधीशों कोनहींसौंपाजाएगा।
- यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी व्यक्तिगत नियति एवं वास्तविक खतरों का वर्णन पूर्ण विस्तृत एवं समझने योग्य रुप में, प्रस्तुत करें।लेकिनसत्यकहें! आपकेकथनोंमेंरहीअसत्यताआपकीविश्वसनीयताकोक्षतिपहुँचातीहै।यदिआपकेकथन स्पष्टनहींहोंगेतोआपसेपूरकप्रश्नकिएजाएँगे।
- प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग साक्षात्कार है।यहवहआधारतैयारकरताहैकिसत्ताधीशनिर्णयलेसकेंकिक्याआपकोआश्रयदियाजाए।

- साथ ही साक्षात्कार के साथ आप किसी विश्वसनीय व्यक्ति, आपका वकील या प्रतिनिधि याकानूनीसलाहकारकोसाथ मेंरखसकतेहैं।
- यदि आप 18 वर्ष से कम उम्र के है तब आपका कानूनी प्रतिनिधि (माता या पिता, कानूनी सलाहकार या जिम्मेदार कल्याण कार्यालय) को आपके साक्षात्कार में उपस्थित रहना ही चाहिए।
- यदि आपका उत्पीडन भय आपके यौन सम्बन्धी स्व-निर्णय पर हुए प्रहार के निर्धारण पर आधारित है तो, आपको अधिकार है कि साक्षात्कार आपके स्वयं के लिंग के व्यक्ति द्वारा लिया जाए। यदि आप चाहते हैं कि आपके देश जाने के कारणों से जुडे सवाल आपके ही लिंग का कोई व्यक्ति आपसे पूछे, तो कृपया हमें समय रहते सूचित करें।

सी) दुभाषिया:

अतः

आपअपनेपलायनकेकारणोंकेबारेमेंबिनाकिसीभीप्रकारकीभाषाकीदिक्कतोंकेउनकावर्णनकरसकतेहैंऔर सत्ताधीशइसकेलिएआपकोमुफ्तदुभाषियामुहैयाकरातेहैं। यदि आप हमसे किसी दुभाषिया की व्यवस्था करवाना चाहते/ती हैं, तो कृपया हमें समय रहते सूचित करें। तब, जहाँ संभव होगा, अधिकारी समान लिंग के दुभाषिए को खोजने का प्रयास करेंगे।

दुभाषिएकीभूमिकाहोतीहैकिआपजोभीकहेंउसेभाषान्तरितकरजितनाशुद्धसंभवहोबतादे।वहएकभाषामध्यस्थीकेरुपमेंआपकेवसत्ताधीशोंकेसाथहीसत्ताधीशोंकेकर्मचारियोंकेबीचहोता/होतीहैंऔरआपकेव्यक्तिगतविवरणोंकेकार्यमेंपूर्णगुप्ततारखनेकेलिएवेबाध्यहैं।

यदिदुभाषिएकोसमझनेमेंकोईकठिनाईहैयाउसकेसमक्षखुलकरबातकरनेमेंयदिभयहैतोहमारेस्टाफ़सदस्यकोतुरन्तकहें।कृपयानोटकरेंकिआपकीआश्रयप्रक्रियाकेबारेमेंदुभाषियाकोईभीकानूनीजानकारीनआपकोदेगाऔरनदेसकताहै!

डी) साक्षात्कारकी टिप्पणीयाँ:

आपजोभीसाक्षात्कारकेदौरानकहतेहैंउसेदर्ज़ करलियाजाताहै। इसका अर्थ है इसे लिखित रुप में रिकार्ड किया जाएगा।

आपकेहितमेंयेदर्जविवरणसाक्षात्कारकेपश्चातदुभाषिएकेद्वाराअनुवादितकिएजाएंगे।फ़िरआपकोएक मौकारहेगायदिआपइसमेंकुछऔरजोड़नाचाहेयाऔरकुछसुधारकरनाचाहें।

यदि आप पाते है जो रिकार्ड किया गया है वह पूर्ण एवं सही है तो इसकी पुष्टि के लिए आप विवरण पर हस्ताक्षर करेंगे। साक्षात्कार के पश्चात आप इन विवरणों की एक प्रति अपने पास रखने की माँग कर सकते/ती हैं।

ई) प्रस्तावः

आपकीआश्रयकार्रवाईकेनिष्कर्षपरसत्ताधीशोंकानिर्णयलिखितअधिसूचनाकेरुपमेंव्याख्यायितरहताहै।इसअधिसूचनाकेमहत्वपूर्णभागउसभाषामेंअनुवादितकिएरहतेहैंजिसेआपसमझसकतेहैं।

इसअधिसूचनाकोआश्रयसत्ताधिशोंकेकार्यालयोंमेंव्यक्तिगतरुपसेसौंपदियाजाताहैयाजारीकियाजाताहै यापुलिसकेद्वारासौंपदियाजाताहै।इसलिएकृपयापुनःनोटकरेंकिपतेमेंकिसीभीप्रकारकेहुएपरिवर्तनकोतुरन्तहीसत्ताधीशोंकोअधिसूचितकरें।

आपकोयहअधिकारहैकिआपसंघीय प्रशासनिक न्यायालय मेंअपीलकरसंघीय कार्यालय केनिर्णयपरपुर्नविचारकरवासकतेहै।इसअपीलकोआपकोकेवलनिश्चितसमयअवधिमेंऔरकेवलसंघीय कार्यालयमेंप्रस्तुतकरनाहोगा।कृपयाइसलिएअधिसूचनामेंअपीलकेअधिकारसेसंबन्धितदिएगएनिर्देशोंपरध्यानदे (अर्थातआपक्याअपीलकरसकतेहैऔरकिससमयढांचेमेंइससेसंबन्धितनिर्देश)।

एफ़) दस्तावेजोंकीसुपुर्दगी

- यदि आपको प्रारंभिक स्वीकृति केन्द्र या किसी स्वागत केन्द्र पर रखा गया है तब दस्तावेज

आपको वहीं भेज दिए जाएंगे।

- यदि आपने किसी कानूनी प्रतिनिधि (वकील) या प्राधिकृत व्यक्ति को आपकी ओर से दस्तावेज स्वीकार करने के लिए नामांकित किया है तब सत्ताधीशों से पत्रव्यवहार उन्हें भेज दिया जाएगा।प्रवेशक्रियाविधिकेभागकेरुपमेंसम्मन्सकेवलआपकोहीभेजेजाएंगे।
- यदि आप 18 वर्ष से कम की उम्र के हैं और साथ में आपके माता-पिता नही है तब सत्ताधीशों से समस्त पत्र-व्यवहार आपके कानूनी प्रतिनिधि (प्रवेश कार्रवाई में कानूनी प्रतिनिधि या युवा कल्याण कार्यालय) को भेजें जाएँगे।इसलिएप्रवेशकार्रवाईकेपूरेसमयकेदौरानआपकोअपनेसम्बन्धितआवासस्थलकेयुवाकल्याण कार्यालयकेसम्पर्कमेंरहनाचाहिएऔरउन्हेंसदैवसूचितकरतेरहनाचाहिएकिआपकहांरहरहेहैं।
- यदि आप अस्थायी रुप से अपने दिए गए पते पर नहीं रह रहे हैं तब आपके पते पर भेजे गए दस्तावेज वाहक (सामान्यतः डाकघर) को सौंप दिए जाएंगे।आपउसेबादमेंप्रप्तकरसकतेहैं।कृपयानोंटकरेंकियहसमर्पणव्यक्तिगतरुपसेदेनेकोअसर करता हैऔरमहत्वपूर्णसमयसूचनाअवधिइस समयबिंदुसेहीप्रारम्भहोगी!
- बिना किसी कानूनी कारण के यदि दस्तावेज को स्वीकार करने से इंकार किया जाता है तब उसे पते पर या वाहक के पास छोड़ दिया जाएगा।कृपयानोंटकरेंकितबऐसामानाजाएगाकिदस्तावेजसौंपदियागयाहैऔरमहत्वपूर्णसूचनाअवधिकीगिननाप्रारंभहोजाएगी!
- आपकी अधिसूचना को सत्तधीशों को स्वयं को सौंप दिया जाएगा यदि आपने वर्तमान डाक का पता न दिया हो और सत्ताधीश आपका पता आसानी से मालूम न कर पा रहे हों।इसेभीव्यक्तिगतसुपुर्दगी कीतरहहीदेखाजायगाऔरमहत्वपूर्णसूचनाअवधिकीगिनतिप्रारंभहोजाएगी!इसलिएकृपयासत्ताधिशोंकोपतेमेंहुएसभीप्रकारकेपरिवर्तनोंसेसूचितकरतेरहें।

- उदाहरणार्थ, इस समय यदि आपके पास दीर्घ अवधि आवास नहीं है तब आप आपकी ओर से दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए किसी अधिकृत व्यक्ति का नाम दर्ज कर सकते हैं। उदाहरणार्थ आस्ट्रिया का निवासी व्यक्ति, चेरीटेबल संगठन
- आदि)।सत्ताधीशोंकोइसपतेकीसूचनाकृपयातुरंतदें।आपकापत्रव्यवहारतबवहाँभेजदियाजाएगा।
- आश्रय प्रक्रिया के संबंध में गृहविहिन लोग के लिए संपर्क बिंदु (स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्र में वह स्थल जहाँ आप रहते हैं) एक वैध सुपुर्दगी बिंदु नहीं है।इसकाअर्थहैकिआश्रयक्रियाविधिसेसंबंधितदस्तावेजोंकोआपकेलिएवहाँनहींभेजाजाएगा।

(जी) परवर्ती आवेदन प्रक्रिया

यदिआपनेपरावर्तीआवेदन (अर्थातफिरसेआवेदनउस आवेदनकेपश्चातजिसकेलिएकानूनीनिर्णयपहलेहीदियाजाचुकाहै) प्रस्तुतकियाहै, तबआपकीप्रक्रियाकेलिएविशेषशर्तेलागूहोंगी।इसकेबारेमेंजानकारीदेनेकेलिएएकअलगलिफ़लेटहै।

एच) आश्रयआवेदनवापसलेना:

सैद्धांतिकरूपसे, आपआपकेआश्रयआवेदनकोवापसनहींलेसकतेहै। इसकेबावजूदभीयदिआपअपनीआश्रयप्रक्रियाकोहीसमाप्तकरनाचाहतेहैतबआपकोलिखितरूपसेसत्ताधिशोकोसूचितकरनाचाहिएयावापस जाने वालों केसलाहकेन्द्रयाकानूनीसलाहकारसेमददकेलिएकहनाचाहिए।संघीय कार्यालयकेनिर्णयकेविरुद्धअपीलकरनेकेपश्चातयदिआपआश्रयआवेदनवापसलेतेहैं, तबयहमानाजायगाकिअपीलभीवापिसलेलीगईहै।तबआपसामान्यन्यायिकउपायोंकाप्रयोगकरतेहुएसंघीय कार्यालयकेमूलनिर्णयकोचुनौतीनहींदेसकेंगे।

आई). संभवितगिरफ्तारीवारंट

आपकेविरुद्धआश्रयसत्ताधीशगिरफ्तारीवारंटजारीकरसकतेहैंयदि

- ❖ आपप्रवेशकार्रवाईसेहटजातेहैं; यदि सत्ताधीश नहीं जानते कि आप कहां के निवासी हैं।
- ❖ यदि आप निर्दिष्ट तिथि पर प्राधिकरण के समक्ष पेश होने के अनुरोध के बावजूद पेश नहीं होते हैं।

यदि रोक दिया गया तो, आपको सुरक्षा सेवा के द्वारा अधिकारियों के पास ले जाया जायगा!

जे) परिवारप्रक्रिया:

एकविदेशीव्यक्तिकेपारिवारिकसदस्यकेरूपमेंजिसेपहलेसेहीआश्रययासहायकसंरक्षणदियागयाहैतबआपकेवलउसीस्तरकासंरक्षणप्राप्तकरेंगे, यदिनिम्नआवश्यकताओंकीपूर्तिहोतीहै.

- ❖ आपकापारिवारिकसदस्यमुकदमादायरनकरने योग्य हो.
- ❖ आपकीवर्तमानपारिवारिकजिंदगीमेंयहसंभवनहींहैकिआपदूसरेदेशमेंअपनेपारिवारिकसदस्यकेसाथजिंदगीजारीरखें.
- ❖ आश्रयकीअवीकृतियालंबन से संबंधित कोई कानूनी कार्रवाई आपके पारिवारीक सदस्य के खिलाफ़ नहीं होना चाहिए .
- ❖ आपईईएनागरिकयास्विटज़रलैंड केनागरिकनहींहोनाचाहिए.
- ❖ आपकेआवेदनमेंजिसपारिवारिकसदस्यकासंदर्भहै, उसनेशायदपरिवारप्रक्रियामेंआश्रययासहायकसंरक्षणप्राप्तनहींकियाहो.यदियहपरिवारसदस्यअविवाहितबालकयाअवस्यकहैतबयहप्रतिबंधलागूनहींहोगा.

परिवारसदस्यसेअर्थहै:जीवनसाथी,

अविवाहितबालककीमातायापिताएवंअविवाहितबालकजोअवस्यकहैं.विवाहितयुग्मोंकेमामलेमेंपरिवारइ

काई कामूलदेशमेंअस्तित्वमेंहोनाहीचाहिए.

(के) आवास परमिट की पात्रता:

यदिआपकोआश्रयकार्रवाईमेंप्रवेशकीअनुमतिमिलीहै, तबआपकोआवासपरमिटजारीकियाजायगा.आश्रयक्रियाविधिकीकानूनीबाध्यताकेसमापनअथवासमाप्ति परपरमिटकीवैधताभीसमाप्तहोजातीहै.इसचरणमेंआपकोपरमिटकोआश्रयकार्यालयमेंवापसकरदेनाचाहिए.

एल) सहायकसंरक्षणकेजोपात्रहैंउन्हेंपरमिट:

आपअस्थायीआवासपरमिटप्राप्तकरसकेंगेयदियहअधिकारियों द्वाराप्रस्थापितहोजाताहैकिआपवास्तवमेंआश्रयप्राप्तकरनेकेपात्रनहींहैं, लेकिनआपकेमूलदेशकीपरिस्थितिकेअनुसारआपकोपुन: निर्वारितकरवहांभेजाभीनहींजासकताहै (जीवनकेअधिकारकेउल्लंघनकेजोखिम, मृत्युदण्डकेसंबंधमेंनिषेध, प्रताड़नायाअमानवीययाअपमानभराव्यवहार).संघीय कार्यालय आपकोएककार्डजारीकरेगाजिससेआपसहायकसंरक्षणकेलिएपात्रहोजाएंगे. यहपरमिटआपकीपहचानकेसबूतकेरूपमेंएवंआस्ट्रियामेंआपकेठहरावकीवैधताकेलिएउपयोगीरहेगा.आवासकीपात्रतातबतकप्रभावीरहतीहैजबतककिविस्तारकेलिएकानूनीनिर्णयआताहै, यदिआवासपात्रताकीसमाप्तिकेपूर्वविस्तारआवेदनप्रस्तुतकरदियाजाताहै.

आपकोपुन: नहीभेजनेयाआपकोआपकेमूलदेशकेलिएनिर्वासितकरनेकेमूलआधार

एवंकारणजबसमाप्तहोजाएंतबअस्थायीआवासपरमिटवापसलेलियाजायगा.जोपात्रहैंउनकेसहायकसंरक्षणकेलिएपरमिटतबवैधनहींरहेगा.

इसप्रकारकेनिर्णयकीलिखितपुष्टिकीजानीचाहिए.संघीयकार्यालयकेनिर्णयकीसमीक्षाअपीलकेमार्फतसंघीय प्रशासनिक न्यायालयकेद्वाराकरवाना, यहआपकाअधिकारहै.अंतिमनिर्णयकेबादपरमिटकोसत्ताधीशोंकोवापसकरदें.

एम) परामर्श:

प्रवेशकार्रवाईकेदौरानआपकोस्वतंत्रकानूनीपरामर्शदातानिशुल्कउपलब्धरहेंगे.इसकेअतिरिक्तस्थानीय सहायतासंगठन (चेरिटी, इवेंजेलिकलसहायतासमूह, पादरी का देशएवंअन्य) आपकोआपकेमामलेमेंमददकरसकतेहैंएवंबिनाकिसीअतिरिक्तखर्चकेआश्रयकार्रवाईमेंआपकाप्रतिनिधित्वकरसकतेहैं.इसकेअतिरिक्त, आपनिश्चितहीअपनेस्वयंकेकानूनीप्रतिनिधि (वकील) काउपयोगकरसकतेहैं.यद्यपि, आपकोस्वयंइसखर्चकोवहनकरनाहोगा.

3.दंडप्रावधान:

कृपयानोंटकरेंकिअन्यकेअतिरिक्तनिम्नकार्यअपराधहै:

- आश्रय प्रक्रिया में अपनी पहचान या मूल के बारे में यदि आप आश्रय अधिकारियों को गलत जानकारी देते हैं, यह जानते हुए भी कि यह सत्य नहीं हैं तब आप पर अभियोजन लगाया जा सकता है.
- यदि रिपोर्ट करने के अपने कर्तव्य एवं आश्रय प्रक्रिया के दौरान यदि आप अवेहलना करते है तो आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है.
- प्रवेश कार्रवाई के दौरान यदि आप क्षेत्रीय संरक्षण पर अतिक्रमण करते हैं, तब आप पर मुकदमा चलाया जा सकता हैं.